

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक / भण्डार / 2020 / 6756

टीकमगढ़ दिनांक 3/10/2020

विज्ञप्ति

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जिले से विकासखण्ड स्तर पर औषधि/सामग्री का परिवहन किया जाना है। अतः आप लोडिंग वाहन की दरे बन्द लिफाफे में दिनांक 12.10.2020 समय 02 बजे दोपहर तक इस कार्यालय में जमा कराये। जिससे औषधि/सामग्री का परिवहन किया जा सके।

क.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. (डीजल सहित) (60 कि.मी. तक)	दर प्रति कि.मी. (डीजल सहित) (60 कि.मी. से 120 कि.मी.तक)	दर प्रति कि.मी. (डीजल सहित) (120 कि.मी. से अधिक)
1	पिकअप लोडिंग वाहन (4 पाहिया, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित)			
2	407/आयशर लोडिंग वाहन (4 पाहिया, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित)			
3	ट्रक (6 पाहिया लोडिंग वाहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित)			

निविदा की शर्तें

- (1) फर्म के समस्त दस्तावेज जैसे जी.एस.टी. नं. पेन कार्ड, आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन, वाहन के समस्त दस्तावेज एवं वाहन चालक का वैध लाईसेंस आदि सीमित निविदा के साथ शील बंद लिफाफे में इस कार्यालय को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
- (2) वाहन की आवश्यकता होने पर 12 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (3) वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा चालान (पुलिस कार्यवाही) होने पर इस कार्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (4) सीमित निविदा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अथवा 31.03.2021 तक के लिए मान्य होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला टीकमगढ़ म.प्र.

टीकमगढ़ दिनांक

पृ. क्रमांक / भण्डार / 2020 /
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ म0प्र0
2. जिला अधिकारी (एन.आई.सी.) टीकमगढ़ की ओर लेख है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को एन.आई.सी. की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला टीकमगढ़ कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
4. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला टीकमगढ़ म.प्र.